दिनांक: **04.01.2026**

-प्रेस नोट-

<u>थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के मुकदमें में वांछित चल रहे 01 गौकश घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 03 जिन्दा/01 खोखा.315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद</u>

अवगत कराना है कि **पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।** इसी क्रम में दिनांक 03.01.2025 की रात्रि को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मिर्जापुर से पीयाजगढ पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, तभी डाडल की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर बदमाश मोटरसाइकिल मोड़कर ग्राम मिर्जापुर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया तो कुछ दुरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर बाग की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एंव 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **शाहिन उर्फ हसीन पुत्र सलीम मुल्ला निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। **गिरफ्तार अभियुक्त शाहिन उर्फ हसीन उपरोक्त थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 229/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 2. मु0अ0स0 234/125 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट 3.मु0अ0स0 236/25 धारा 109(1) बीएनएस का वांछित अभियुक्त है** जिसके विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर गैंगस्टर, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी संगीन धाराओं में आधा दर्जन के करीब मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 4/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 व 5/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>- अभियुक्त शाहिन उर्फ हसीन ने पूछताछ पर बताया कि मै और मेरे साथी रात के समय आवारा घूमते पशुओ को पकड़कर जंगल में सुनसान जगह ले जाकर उनका कटान कर देते है और मांस को बेच देते है, जो पैसे मिलते है उसको आपस में बराबर हिस्से में बांट लेते है।

<u>गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

शाहिन उर्फ हसीन पुत्र सलीम मुल्ला निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

- 01 तमंचा .315 बोर

- 03 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस.315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल

अभियुक्त शाहिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 53/2015 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 13/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 150/2020 धारा 147/148/149/188/269/307 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 142/21 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 125/22 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 119/23 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 158/2020 धारा 2/3 गैगस्टरएक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
8. मु0अ0स0 206/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
9. मु0अ0स0 218/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
10. मु0अ0स0 229/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
11. मु0अ0स0 234/25 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
12. मु0अ0स0 236/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
13. मु0अ0स0 42/09 धारा 295ए भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. का0 74 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 04.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर वांछित नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 19.31 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 3,80,000 रू0/-) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा 2.0"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा कल दिनांक 03/01/2026 को गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण **असजद उर्फ साद्दा पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम रन्धेडी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से अवैध स्मैक 19.31 ग्राम बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 09/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। **अभियुक्त असजद उर्फ उपरोक्त थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 625/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट का वांछित अभियुक्त भी** मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण पकडे गये अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै स्मैक का नशा करता हूँ तथा स्मैक बेचने का काम करता हूँ ,यह जो स्मैक पुलिस को मुझसे बरामद हुई है, इसे मै नशे करने वालो व आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरो को बेचने के लिए जा रहा था लेकिन पुलिस ने पकड लिया। मैं पुलिस को देखकर घबरा गया था और पकड़े जान के डर से स्मैक को कहीं छिपाना चाह रहा था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

असजद उर्फ साद्दा पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 19.31 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. *मु0अ0स0 625/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 09/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

3. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

4. हे0का0 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

5. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

6.का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 04.01.2026

थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा पीडित के साईबर फ्राड मे गये शत-प्रतिशत 60,000/- रुपये कराये वापस-

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2025 को वादी श्री पीयूष सिंघल पुत्र संदीप सिंघल निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात साईबर ठग द्वारा वादी को गाडी बुक कराने के नाम पर 60000/- रूपये की धनराशि की ठगी कर ली गयी है। थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर क्राईम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर वादी की शिकायत संख्या 23107250095121 दर्ज करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्राड में गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व मे थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी पीयूष सिंघल की ठगी गयी शत-प्रतिशत 60000/- रूपये की धनराशि HDFC Bank मे फ्रीज करायी गयी थी। आज दिनांक 04/01/2026 को थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के कुल 60,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी है। पीडित द्वारा थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर हैल्प डेस्क टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. क0आ0 सुमित कुमार सरसावा जनपद सहारनपुर
4. म0है0का0 761 रुबी थाना सरसावा जनपद सहरनपुर
5. का0 123 सुधीर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा साइबर अपराध होने पर थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के सीयूजी मो0न0- 7839876635 व साईबर सैल के सीयूजी नम्बर 7417754148 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करें।

दिनांक:04.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.01.2026 को वादी श्री देविश कुमार पुत्र शीतल कुमार निवासी ग्राम मायाहेडी थाना नागल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.रोहित पुत्र ओमप्रकाश निवासी अकबरपुर गढी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.नईम पुत्र मोबीन निवासी लहसवाद थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पिता की मोटर साईकिल में टक्कर मार कर घायल कर देना जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बंध मे थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 07/2026 धारा 105/3(5) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वाछित अभियुक्तगण **1.रोहित पुत्र ओमप्रकाश निवासी अकबरपुर गढी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.नईम पुत्र मोबीन निवासी लहसवाद थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को नाजिरपुरा पेपर मिल रोडं से घटना मे प्रयुक्त कार UK-08-Z-1144 आई-10 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. रोहित पुत्र ओमप्रकाश निवासी अकबरपुर गढी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. नईम पुत्र मोबीन निवासी लहसवाद थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री उदयवीर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 515 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 1718 अंकित धामा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 04.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

अवैध नशा तस्करी पर थाना नकुड़ पुलिस टीम का करारा प्रहार — 01 शातिर नशा तस्कर किया गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 24 लाख रूपये), 01 इलेक्ट्रानिक कांटा व 1500/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.01.2026 थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त ***अमजद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नबाजपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को गंगोह नकुड़ रोड़ से घाटमपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 120 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 08/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमजद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नबाजपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *120 ग्राम अवैध स्मैक*
- *01 इलेक्ट्रानिक कांटा*
- *1500/- रूपये नकद*

अभियुक्त अमजद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 380/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।

2. मु0अ0सं0 385/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0 136/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

4. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

5. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 04.01-2026

-प्रेस नोट-

थाना तीतरों पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार , कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 02.01.2026 को वादी श्री अक्षित पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम फतेहचन्दपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंशुल पुत्र बीरसैन निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर पर आकर घर के बाहर खडे होकर गाली गलौच करना व वादी द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर फायर कर जिससे वादी का बाल-बाल बच जाने के सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु0अ0स0 02/2026 धारा 109(1)/352/351 बीएनएस बनाम अंशुल पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्रवाईः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री भूपेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण ***1.अंशुंल पुत्र बीरसैन निवासी ग्राम कोलाखेड़ी थाना तीतरो जिला सहारनपुर व 2.शुभम पुत्र सतीश उर्फ बबलू निवासी ग्राम फतेहचन्दपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर*** *को मोहम्मदपुर गुर्जर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशांदेही पर 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में* ***धारा 3(5) व धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट*** *की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारे गाँव का अक्षित बिना वजह मुझ पर कमेन्ट्स कसता था और कहता था कि तुम जो अपना मकान बना रहे हो, अपने गाँव की खेती की जमीन बेचकर बना रहे हो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपना मकान बना सको यह बात मुझे बुरी लगती थी घटना वाली रात उस दिन में भी उसने मुझे फोन पर गाली गलौच की थी यह बात मैने अपने मित्र अंशुल को बतायी थी शाम के समय हम दोनों ने शराब पी अंशुल के पास तमंचा था । अंशुल ने कहा कि चल तेरे गाँव में चलकर आज अक्षित को खत्म कर देते हैं मै भी गुस्से मे था मै और अंशुल दोनो मोटर साईकिल से अक्षित के घर पर आये। हम दोनों पक्षों मे गाली गलौच होने लगी तभी अंशुल ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से अक्षित पर दो बार गोली चलायी परन्तु अक्षित बच गया था अक्षित के द्वारा शोर मचाने पर अक्षित के परिवारजन व आसपास से व्यक्ति आने पर हम दोनो मोटर साइकिल लेकर भाग गये थे और तमंचा व कारतूस मोहम्मदपुर गुर्जर वाले रस्ते पर खंडर पडे कमरे के पास छुपा दिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. *अशुंल पुत्र बीरसैन निवासी ग्राम कोलाखेड़ी थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।*

2. शुभम पुत्र सतीश उर्फ बबलू निवासी ग्राम फतेहचन्दपुर थाना तीतरो सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस

अभियुक्त अंशुल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 125/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 307/34 आईपीसी थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 70/23 धारा 323/325/452/504/506 आईपीसी थाना तीतरो , सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 32/24 धारा 379/511 आईपीसी थाना तीतरो , सहारनपुर।

अभियुक्त शुभम का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 125/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 307/34 आईपीसी थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1035 सचिन कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
5. का0 1606 दीपक यादव थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

6 का0 2056 शुभम सिरोही थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.01.2026

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पव्वे(पाउच) महबूबा मार्का देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.01.2026 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **इलताफ पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम खुशहालीपुर कलां के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 पव्वे (पाउच) महबूबा मार्का देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 03/26 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इलताफ पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

20 पव्वे (पाउच) महबूबा मार्का देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
2. उ0नि0 अशोक तेवतिया यादव थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. का0 2249 काशीराम थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
4. का0 2172 वरुण कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

दिनांकः 04.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब 07 लीटर व अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण(भटटी) सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 4.01.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभि0 ***बबलू पुत्र शिवराज नि0 ग्राम असदपुर करन्जाली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर*** *को अभियुक्त के घर ग्राम असदपुर करन्जाली थाना देवबन्द सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 07 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा 25 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0 08/26 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बबलू पुत्र शिवराज नि0 ग्राम असदपुर करन्जाली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *07 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण*

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. *उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
2. *है0का0 947 राशिद हसन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
3. *का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द सहारनपुर।*
4. *का0 952 अरविन्द कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*

दिनांक- 04.01.2026

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

□ अवैध नशा तस्करी पर थाना फतेहपुर पुलिस का करारा प्रहार — 01 शातिर नशा तस्कर किया गिरफ्तार, कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 06 लाख रुपये) बरामद □

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/ नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.01.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **भूरा पुत्र इकबाल निवासी गली नं0 6 हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को रुडकी रोड कस्बा छुटमलपुर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 09/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भूरा पुत्र इकबाल निवासी गली नं0 6 हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 30.00 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 -301/16 धारा 135 विद्युत अधि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 328/2020 धारा 323/452/506 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर ।
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
4. है0का0 24 सुनील तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

दिनांकः 04.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे वारन्टी/वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी के अभियान *के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेत्तृव में दिनांक 04.01.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गैर जमानती वारन्टी अभियुक्तगण 01. प्रीतम पुत्र फुल्लु निवासी ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0-989/19 धारा 452/323/504/506 भा0द0वि0 व अभियुक्त 2.सत्यपाल पुत्र प्रकाशी 3.अशोक पुत्र प्रकाशी निवासीगण खानपुर थाना रामपुर मनिहारन सम्बन्धित वाद सं0-2289/19 मु0अ0सं0-67/07 धारा 323/ 324/ 504/ 506 भा0द0वि0 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *प्रीतम पुत्र फुल्लु निवासी ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर*
2. *सत्यपाल पुत्र प्रकाशी निवासी खानपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर*
3. *03.अशोक पुत्र प्रकाशी निवासी खानपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*
3. *का0 1011 मोहित सरोहा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर*
4. *का0 1887 अंकित सोम थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर*

दिनांकः 04.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 30.11.2025 को अभि0गण पंकज, सतीश व सचिन द्वारा वादी श्री सर्वेश पुत्र कर्म सिंह निवासी नल्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर की पत्नी के साथ गाली गलौच व मारपीट कर जान से मारने की नियत से पेट मे कैंची मारकर घायल कर दिया गया जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी । जिस सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0-594/25 धारा115(2)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत है।

***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी के अभियान** के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेत्तृव में दिनांक 04.01.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र हरबीर सिंह निवासी ग्राम दतियाना थाना छपार जनपद मु0नगर सम्बन्धित मु0अ0सं0-594/25 धारा115(2)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस को मुखबिर की सूचना पर घसौती तिराहा कस्बा रामपुर मनिहारन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन कुमार पुत्र हरबीर सिंह निवासी ग्राम दतियाना थाना छपार जनपद मु0नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*
2. *का0 1799 रोहित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*
3. *का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*